कार्यालय फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद

निविदा सूचना सं0 469/वि0प्रा0/2018

दिनांक 21.12.2018

–: ई–निविदा सूचना:–

निम्नलिखित कार्य हेतु ई–निविदा के माध्यम से निविदायें आमंत्रित की जाती है:–

क्र सं	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर राशि (रू0 लाख में)	निविदा मूल्य सभी करों सहित(रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य की श्रेणी
01	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 424 भवनों का निर्माण एवं आन्तरिक विकास कार्य।	1967.20	39.35	5000.00+ 12% जी0एस0टी0	18 माह	ए+
02	प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत 376 भवनों का निर्माण एवं आन्तरिक विकास कार्य।	1744.50	34.89	5000.00+ 12% जी0एस0टी0	18 माह	ए+

- उक्त कार्य की निविदायें दिनांक 24.01.2019 को आमंत्रित की जाती है। यह निविदायें दिनांक 27.12.2018 से दिनांक 23.01.2019 के अपरान्ह् 02:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।
- निविदा सम्बन्धी विस्तृत शर्ते एवं अन्य विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट www.fsdafirozabad.com पर देखी जा सकती है।

नियम एवं शर्ते :–

1– उक्त कार्य की निविदायें दिनांक 24.01.2019 को आमंत्रित की जाती है, जो कि दिनांक 24.01.2019 के 12:00 अपरान्ह् खोली जायेगी।

2– निविदायें दिनांक 27.12.2018 के अपरान्ह् 12:30 बजे से दिनांक 23.01.2019 के अपरान्ह् 3:00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल www.etender.up.nic.in पर डाउनलोड/अपलोड की जा सकती है।

3(क)– वांछित धरोहर धनराशि RTGS/NEFT के माध्यम से एक दिन पूर्व तक प्राधिकरण खाता संख्या 60094837338 (बैंक का नाम/पता–बैंक ऑफ महाराष्ट्र, मोनापुरम, गणेश नगर, फिरोजाबाद) IFSC CODE MAHB0001317 में जमा करना अनिवार्य होगा तथा इसके साक्ष्य के रूप में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा की गयी धरोहर धनराशि के यू0टी0आर0 नंबर का विवरण भी निविदा के साथ अपलोड कराया जाना आवश्यक है, अन्यथ की दशा में निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

3(ख)– धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 के माध्यम से भी जमा की जा सकती है। राष्ट्रीकृत बैंक की एफ0डी0आर0 अथवा एन0एस0सी0 के माध्यम से जो कि अधिशासी अभियन्ता के पक्ष में बंधक की गयी हो, निविदा से एक दिन पूर्व अधिशासी अभियन्ता कार्यालय में 3:30 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा तथा धरोहर धनराशि की छायाप्रति/स्कैन प्रति निविदा के साथ अपलोड करना होगा। अन्यथा की दशा में निविदा मान्य न होगी।

4– निविदा अपलोड करने से पूर्व निविदा दाता स्थल का निरीक्षण कर कार्य सम्पादन की परिस्थितियों का आंकलन अवश्य कर लें। समस्त शंकाओं का समाधान अधिशासी अभियन्ता से कर लें। निविदा अपलोड करने के उपरान्त निविदादाता का कोई अन्य पक्ष मान्य न होगा। सशर्त निविदा मान्य न होगें।

5– प्राधिकरण में पंजीकरण ठेकेदारों को अपनी श्रेणी के अलावा एक श्रेणी निम्न तक भी निविदा डालने का अधिकार होगा।

6– कार्य में निर्धारित गुणवत्ता की कम से कम 15 प्रतिशत फ्लाई ऐश ब्रिक का प्रयोग करना होगा जिसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

7– निविदा की दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी।

8– निविदा की दरें कार्य की लागत से निम्न होने की दशा में लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0 622/23–12–2012–2 आडिट/08टी0सी0–2, दिनांक 08 जून 2012 के अनुसार वांछित परफोरमेन्स गारन्टी अनुबन्ध से पूर्व देय होगी।

9– सभी निविदादाताओं को श्रम विभाग, जी0एस0टी0 एवं अन्य कोई विभाग (जहॉ कोई टैक्स देय हो) में पंजीकरण करना अनिवार्य होगा।

10– पेवर/हॉटमिक्स प्लाण्ट के कार्यो में केवल हाटमिक्स प्लाण्ट धारक ठेकेदार ही भाग ले सकते हैं। प्लाण्ट स्वामित्व का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा विचारणीय न होगी।

11– सिविल कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग की विशिष्टियों के अनुरूप कराये जाने होगें।

12– निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार निर्विवाद रूप से उपाध्यक्ष, फिरोजाबाद–शिकोहाबाद विकास प्राधिकरण, फिरोजाबाद में निहित होगा जिसको किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

13– 40 लाख से अधिक धनराशि व विशिष्ट श्रेणी के कार्यो में Two Bid System के अन्तर्गत निविदायें आमंत्रित होगी। तकनीकी बिड सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।

14– निविदादाताओं से अपेक्षा की जाती है कि अपना बैंक एकाउन्ट संख्या का उल्लेख कर दें ताकि असफल निविदादाताओं की धरोहर धनराशि को उनके बैंक एकाउन्ट में RTGS/NEFT के माध्यम से हस्तानान्तरित की जा सके।

15– जिन ठेकेदारों द्वारा चालू वित्तीय वर्ष हेतु नवीनीकरण/पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया है, यह निविदाओं में भाग लेने हेतु अनुमन्य न होगें व उनकी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

16– थर्ड पार्टी गुणवत्ता एवं अन्य जांच/परीक्षणों पर आने वाला समस्त व्यय भार निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा।

अधिशासी अभियन्ता

पत्रांक : 473/वि0प्रा0/2018,

दिनांक 24.12.2018

प्रतिलिपि :–

1–उपाध्यक्ष महोदया को अवलोकनार्थ।
2–सचिव महोदया को सूचनार्थ।
3–सहायक अभियन्ता को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया इसे बेव साईट पर अपलोड करायें।
4–नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

अधिशासी अभियन्ता